E.D.S.

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 705 / मी0क्षे0 / 33 / दिनांक,मीरजापुर,अगस्त 8, , 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,
रेनुकूट–सोनभद्र।

विषय– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मैं0 रेनुसागर पावर कम्पनी के ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रदत्त कुल 126.27 हे0 में से 61.2348 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज को आगामी 10 वर्षो के लिए (21––6–2019से 20–6–2029 तक)नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्रांक 2384 / 11–सी / एफ0पी0 / यू0पी0 / अदर्स / 39403 / 2019 दिनांक 18.06.2019 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 5607 / मी0 / 33 / दिनांक 19.06.2019 एवं आपका पत्रांक 368 / रेनुकूट / 15–31, दिनांक 26.07.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयक के संबंध में उल्लिखित 10 बिन्दु की कमियॉ / अभिलेखों के निराकरण करने के निर्देश केक्रम में आप द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र से प्रेषित उपरोक्त बिन्दु की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित आख्या के बिन्दु सख्या–7 की आख्या त्रुटिपूर्ण प्रेषित किया गया है जो निम्नवत् हैः–

बिन्दु संख्या	कमियॉ	निराकरण
बिन्दु संख्या–7	हार्ड कापी भाग–2 से संबंधित सभी 13 बिन्दुओं का विवरण अंकित नहीं किया गया है। अतः हार्ड कापी भाग–2 से संबंधित सभी 13 बिन्दुओं का विवरण अंकित करते हुए सशोधित हार्ड कापी भाग--2 संलग्न कर ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में बिन्दु संख्या–13 में विवरण अंकित कराते हुए ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।

—2—

अतः भाग–2 से संबंधित 13 बिन्दुओं का विवरण अंकित करते हुए संशोधित हार्डकापी भाग–2 संलग्न कर ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड करते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मूल में वापस की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर